रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253083
CG-DL-E-15032024-253083

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1349] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945
No. 1349] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

**का.आ. 1415(अ).**—जम्मू और कश्मीर पीपुल्स लीग (जेकेपीएल) के चार गुट, अर्थात् जेकेपीएल (मुख़्तार अहमद वजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोता), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद ख़ान उर्फ़ सोपोरी), जिसे जम्मू और कश्मीर पीपुल्स पॉलिटिकल लीग के रूप में भी जाना जाता है और याकूब शेख़ के नेतृत्व में जेकेपीएल (अज़ीज़ शेख़), विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हैं;

और, जेकेपीएल के उपरोक्त गुटों के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी क्रियाकलापों और भारत विरोधी दुष्प्रचार का समर्थन करने में सम्मिलित रहे हैं;

और, जेकेपीएल के उपरोक्त गुटों के नेता और सदस्य, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों पर लगातार पत्थरबाजी कराने समेत विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को अंजाम देने के लिए जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों में हिंसक प्रदर्शनकारियों को जुटाने में सम्मिलित रहे हैं;

और, जेकेपीएल के उपरोक्त गुट, जम्मू और कश्मीर के लोगों को निर्वाचन में भाग न लेने के लिए लगातार भड़काते रहे हैं और इस प्रकार इन्होंने भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक दृष्टि से बुनियादी मान्यता प्राप्त, मूल सिद्धांतों को निशाना बनाया है और अवरोध उत्पन्न किया है;

और, जेकेपीएल के उपरोक्त गुटों के सदस्यों के क्रियाकलापों से देश के संवैधानिक प्राधिकार और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति घोर अनादर प्रदर्शित होता है;

और जेकेपीएल के उपरोक्त गुट राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक क्रियाकलापों में सम्मिलित होकर भारत से जम्मू और कश्मीर के अलगाव को प्रोत्साहन देने, सहायता करने और इसके लिए उकसाने; लोगों के बीच नफरत के बीज बोने; लोगों को लोक व्यवस्था अस्थिर करने के लिए आंदोलन करने; जम्मू और कश्मीर को भारत संघ से पृथक करने के लिए हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने; स्थापित सरकार के विरुद्ध नफरत को बढ़ावा देने और जम्मू-कश्मीर में कई मौकों पर निर्वाचनों का बहिष्कार करने और जम्मू-कश्मीर में भारत के गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर 'काला दिवस' और बंद का खुलकर आह्वान करने की क्रियाकलापों में लिप्त है;

और, केंद्रीय सरकार की यह भी राय है कि यदि जेकेपीएल के उपरोक्त गुटों के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो वह निम्नलिखित के लिए इस अवसर का लाभ उठाएगी –

(i) देश की क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक राष्ट्र-विरोधी क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए;

(ii) जम्मू और कश्मीर राज्य के भारत संघ के साथ विलय पर विवाद खड़ा करते हुए, उसे संघ से अलग करने की वकालत जारी रखने के लिए; और

(iii) भारत के प्रति अप्रीति पैदा करने और लोक व्यवस्था को बाधित करने के इरादे से जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच झूठी कहानी गढ़ने और राष्ट्र विरोधी भावनाओं का प्रचार जारी रखने के लिए;

और, उपर्युक्त उल्लिखित कारणों से केंद्रीय सरकार का यह दृढ़ मत है कि जेकेपीएल के उपरोक्त गुटों के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स लीग (जेकेपीएल) के उपरोक्त चार गुट अर्थात् जेकेपीएल (मुख़्तार अहमद वज़ा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोता), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद ख़ान उर्फ़ सोपोरी), जिसे जम्मू और कश्मीर पीपुल्स पॉलिटिकल लीग के रूप में भी जाना जाता है, और याकूब शेख़ के नेतृत्व में जेकेपीएल (अज़ीज़ शेख़) को 'तत्काल प्रभाव से 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करना आवश्यक है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स लीग (जेकेपीएल) के चार गुट अर्थात् जेकेपीएल (मुख़्तार अहमद वजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोता), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद ख़ान उर्फ़ सोपोरी), जिसे जम्मू और कश्मीर पीपुल्स पॉलिटिकल लीग के रूप में भी जाना जाता है, और याकूब शेख़ के नेतृत्व में जेकेपीएल (अज़ीज़ शेख़) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार का दृढ़ मत है कि जम्मू और कश्मीर पीपुल्स लीग (जेकेपीएल) के चार गुट अर्थात् जेकेपीएल (मुख़्तार अहमद वजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोता), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद ख़ान सोपोरी), जिसे जम्मू और कश्मीर पीपुल्स पॉलिटिकल लीग के रूप में भी जाना जाता है, और याकूब शेख़ के नेतृत्व में जेकेपीएल (अज़ीज़ शेख़) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी भी आदेश के अध्यधीन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं.14017/15/2024-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2024

**S.O. 1415(E).—**Whereas, the four factions of Jammu and Kashmir Peoples League (JKPL), namely, JKPL (Mukhtar Ahmed Waza), JKPL (Bashir Ahmad Tota), JKPL (Ghulam Mohammad Khan @Sopori) also known as Jammu and Kashmir Peoples Political League and JKPL (Aziz Sheikh) led by Yaqoob Sheikh, are indulging in unlawful activities, which are prejudicial to the integrity, sovereignty and security of the country;

And, whereas, members of the abovesaid factions of JKPL have remained involved in supporting terrorist activities and anti-India propaganda for fuelling secessionism in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the leaders and members of the abovesaid factions of JKPL have been involved in mobilising violent protests in various parts of Jammu and Kashmir for perpetrating unlawful activities, including sustained stone-pelting on Security Forces in Jammu and Kashmir;

And, whereas, abovesaid factions of JKPL have constantly asked to the people of Jammu and Kashmir to refrain from taking part in elections and thereby targeted and hampered the very basic constitutionally recognised fundamentals of Indian democracy;

And, whereas, the members of abovesaid factions of JKPL, by their activities show sheer disrespect towards the constitutional authority and constitutional set up of the country;

And whereas, abovesaid factions of JKPL are involved in promoting, aiding and abetting secession of Jammu and Kashmir from India by involving in anti-national and subversive activities; sowing seeds of dis-affection amongst people; exhorting people to destabilise public order; encouraging the use of arms to separate Jammu and Kashmir from the Union of India; promoting hatred against established Government, giving clarion call to boycott elections on multiple occasions and for 'Black Day' and Shutdown on the Republic Day and Independence Day of India in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that if there is no immediate curb or control of unlawful activities of the abovesaid factions of JKPL, they will use this opportunity to –

(i) continue with the anti-national activities which are detrimental to the territorial integrity, security and sovereignty of the country;

(ii) continue advocating the secession of Jammu and Kashmir form the Union of India while disputing its accession to the Union of India; and

(iii) continue propagating false narrative and anti-national sentiments among the people of Jammu and Kashmir with the intention to cause disaffection against India and disrupt public order;

And, whereas, the Central Government for the above-mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the abovesaid factions of JKPL, it is necessary to declare the abovesaid four factions of Jammu and Kashmir Peoples League (JKPL), namely, JKPL (Mukhtar Ahmed Waza), JKPL (Bashir Ahmad Tota), JKPL (Ghulam Mohammad Khan @Sopori) also known as Jammu and Kashmir Peoples Political League and JKPL (Aziz Sheikh) led by Yaqoob Sheikh as 'unlawful associations' with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the four factions of Jammu and Kashmir Peoples League (JKPL), namely, JKPL (Mukhtar Ahmed Waza), JKPL (Bashir Ahmad Tota), JKPL (Ghulam Mohammad Khan @Sopori) also known as Jammu and Kashmir Peoples Political League and JKPL (Aziz Sheikh) led by Yaqoob Sheikh as unlawful associations;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the four factions of Jammu and Kashmir Peoples League (JKPL), namely, JKPL (Mukhtar Ahmed Waza), JKPL (Bashir Ahmad Tota), JKPL (Ghulam Mohammad Khan @Sopori) also known as Jammu and Kashmir Peoples Political League and JKPL (Aziz Sheikh) led by Yaqoob Sheikh as 'unlawful associations' with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/15/2024-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.15 23:34:02 +05'30'